

नियमावली

प्रस्तावना

आदर्श विद्यालय राष्ट्रीय दृष्टिबाधितार्थ संस्थान की एक इकाई है। संस्थान के प्रमुख उद्देश्य दृष्टिबाधितों को शिक्षा प्रदान करना, वयस्क पुरुषों एवं महिलाओं को प्रशिक्षण प्रदान करना, अनुसंधान एवं राष्ट्रीय स्तर की सेवायें प्रदान करने के साथ ही ज्यादा से ज्यादा व्यक्तियों तक अपनी सेवायें पहुँचाना है।

दृष्टिहीन बच्चों को शिक्षा देने के उद्देश्य से 4 जनवरी 1959 को लुई ब्रेल के 150वें जन्म दिवस पर इस विद्यालय की स्थापना की गई थी। लुई ब्रेल ने उभरे हुये अक्षरों वाली ब्रेल लिपि की खोज की थी, जिससे दृष्टिबाधितों के लिए स्पर्श के द्वारा पढ़ना और लिखना सम्भव को सका है। सन् 1970 में इस विद्यालय में आंशिक रूप से दृष्टिबाधित बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से एक और इकाई की स्थापना की गई थी। अब यह विद्यालय दोनों प्रकार के विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान करता है। सन् 1986 से विद्यालय में पूर्व प्राथमिक कक्षा (नर्सरी) एवं सन् 1993 से दृष्टिबाधिता के साथ अतिरिक्त विकलांगता वाले बच्चों के लिए भी शिक्षा व्यवस्था की गई (जो 2012 से जारी नहीं है)। यह विद्यालय अब पूर्ण रूप से कक्षा नर्सरी से कक्षा बारहवीं तक शिक्षा प्रदान करता है। यह एक आवासीय विद्यालय है, जिसमें बच्चों को शिक्षा, संतुलित आहार, आवास, वस्त्र आदि सुविधाओं की व्यवस्था की गयी है।

विद्यालय निम्न उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु समर्पित है:—

1. दृष्टिहीनता से बच्चों में उत्पन्न बाधाओं तथा रुकावटों को दूर करना।
2. सामाजिक समायोजन एवं एकीकरण को बढ़ावा देना।
3. दृष्टिबाधित बच्चों को व्यक्तित्व विकास के समुचित अवसर प्रदान करना।
4. बच्चों की क्षमताओं तथा योग्यताओं की खोज करना तथा उनका विकास करना।
5. शिक्षण के आदर्श कार्यक्रमों को विकसित करना।

पाठ्यक्रम

विद्यालय केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से सम्बद्ध है तथा राष्ट्रीय शैक्षणिक एवं अनुसंधान परिषद् द्वारा तैयार पाठ्यक्रम का अनुसरण करता है। जहां कहीं आवश्यकता होती है थोड़े परिवर्तन कर लिए जाते हैं। विद्यालय में निम्नलिखित विषय पढ़ाये जाते हैं:— हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत, सामाजिक विज्ञान, सामान्य विज्ञान, सामान्य ज्ञान, गणित, संवेदन प्रशिक्षण, राजनीतिशास्त्र, समाजशास्त्र, इतिहास एवं संगीत। वर्ष 2001 से विद्यालय में कम्प्यूटर शिक्षा भी आरम्भ की जा चुकी है। इसके अतिरिक्त कुशलता पूर्वक चलने-फिरने, खेलकूद, शारीरिक शिक्षा आदि का भी प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। यह इसलिए आवश्यक है जिससे कि बच्चों को चलने-फिरने तथा उठने बैठने की सही विधियां आ सकें तथा वे दृष्टिहीनता के कारण उत्पन्न अवांछनीय व्यवहारों में सुधार कर सकें। समय-समय पर ज्ञानपूर्वक भ्रमण, शैक्षिक भ्रमण आदि का भी आयोजन किया जाता है जिससे बच्चों को बाहरी विषय का भी पर्याप्त ज्ञान प्राप्त हो सके। विद्यालय के निर्धारित समय के उपरान्त संगीत, योगा, मार्शल आर्ट, नाट्य कला, अंग्रेजी स्पीकिंग आदि कक्षाएं आयोजित की जाती हैं जो बच्चों के सम्पूर्ण विकास में सहायक होती हैं।

सहगामी क्रियायें

विद्यालय में खेलकूद, संगीत, वाद-विवाद तथा अन्य सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया जाता है। जिन बच्चों में संगीत गायन तथा वादन, निबंध लेखन, भाषण, कम्प्यूटर आदि के प्रति विशेष रुचि होती है उन्हें क्षेत्रीय, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में सम्मिलित होने के लिए भी तैयार किया जाता है।

अभिभावक—अध्यापक सहयोग

विद्यालय में अभिभावकों तथा अध्यापकों की बैठक समय—समय पर आयोजित की जाती है। इन बैठकों का तात्पर्य अध्यापकों तथा अभिभावकों के मध्य सहयोग भावनाएं उत्पन्न करना होता है जिससे बच्चे की शिक्षा सम्बन्धी एवं सर्वांगीण प्रगति पर चर्चा की जा सके। अभिभावकों से अपेक्षा की जाती है कि वे विद्यालय के प्रधानाचार्य एवं अध्यापकों से अवश्य मिलें।

छात्रावास

विद्यालय के छात्रावास में केवल दृष्टिबाधित बच्चों के लिए रहने की व्यवस्था है। छात्रों तथा छात्राओं को अलग—अलग छात्रावासों में ठहराया जाता है। इसके प्रबन्ध के लिए छात्रावास पर्यवेक्षिका तथा पर्यवेक्षक नियुक्त किये गये हैं। विद्यालय बच्चों को पूर्ण तथा संतुलित आहार देने का पूर्ण प्रयत्न करता है। मौसम के अनुसार वस्त्र देने का भी प्रबन्ध है। माता—पिता तथा अभिभावकों से अपेक्षा की जाती है कि वे कुछ अन्य वस्त्र बच्चों को दें। जैसे दो जोड़े दिन में पहनने के लिए, एक जोड़ा सोने के समय, एक जोड़ी चप्पल, रुमाल तथा अण्डर गारमेन्ट्स आदि। कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12 तक के बच्चों को खर्च के लिए निश्चित धनराशि प्रतिमाह इस आशय से दी जाती है कि वे स्वास्थ्य सम्बन्धित तथा व्यक्तिगत वस्तु खरीदें जैसे— साबुन, तेल, मंजन व ब्रुश आदि। कक्षा 5 तक के विद्यार्थियों को उपरोक्त वस्तुएं विद्यालय की ओर से मुफ्त प्रदान की जाती हैं। विद्यार्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने निजी सामान की स्वयं देख—भाल करें। किसी भी निजी सामान के खो जाने अथवा टूट जाने की जिम्मेदारी विद्यालय की नहीं होगी। माता—पिता/अभिभावकों को सलाह दी जाती है कि वे अधिक कीमती वस्तुएं बच्चों को न दें जैसे— मोबाइल, आईपॉड, कम्प्यूटर, लैपटॉप इत्यादि। इन वस्तुओं के खोने पर विद्यालय की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

पुस्तकालय

विद्यालय में ब्रेल तथा प्रिन्ट पुस्तकों का पर्याप्त भण्डार है। इसके अतिरिक्त पत्रिकायें, पैम्फलेट, ब्रोशर आदि भी मंगाए जाते हैं। समय—समय पर लाइब्रेरी में पुस्तकों की संख्या आवश्यकतानुसार बढ़ाई जाती है जिससे कि बच्चों तथा अध्यापकों को पर्याप्त मात्रा में पुस्तकें विद्यालय की लाइब्रेरी से ही उपलब्ध कराई जा सकें।

स्वास्थ्य

संस्थान का चिकित्सा विभाग सभी प्रकार की बीमारियों का उपचार करता है। इसके अतिरिक्त अधिक बीमार होने पर बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया जाता है तथा माता—पिता को शीघ्र सूचना दी जाती है। लंबी बीमारी होने पर बच्चे को विद्यालय से माता—पिता के पास स्वस्थ होने तक भेज दिया जाता है। आंखों की बीमारियों तथा अन्य परीक्षण हेतु संस्थान में नेत्र चिकित्सक की सेवाएं समय—समय पर उपलब्ध कराई जाती हैं।

उपस्थिति

प्रत्येक सत्र के आरम्भ में यदि कोई विद्यार्थी एक सप्ताह तक अनुपस्थित रहेगा तो उसका नाम विद्यालय पंजिका से हटा दिया जायेगा। सत्र के दौरान यदि कोई छात्र लगातार 10 दिनों तक बिना अवकाश स्वीकृति के अनुपस्थित रहेगा तो उसको विद्यालय से निष्कासित कर दिया जायेगा। प्रतिवर्ष बच्चों की कुल उपस्थिति 75 प्रतिशत से कम नहीं होनी चाहिए। उपस्थिति 75 प्रतिशत से कम होने पर विद्यार्थी को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।

छुट्टियाँ

बीमार होने की स्थिति में छुट्टियाँ तभी दी जा सकेंगी जब किसी पंजीकृत चिकित्सक का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जायेगा। माता—पिता के द्वारा प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर ही छुट्टियाँ दी जा सकेंगी। प्रार्थना पत्र पर्याप्त समय पूर्व प्राप्त होना आवश्यक है।

विद्यालय अवकाश

विद्यालय मध्य सत्र अवकाश के लिए अक्टूबर-नवम्बर में लगभग 20 दिनों के लिए बंद होता है जिसमें दीपावली तथा विजयादशमी भी शामिल है। ग्रीष्मकालीन अवकाश के लिए विद्यालय सामान्यतः मई के मध्य में लगभग 50 दिनों के लिए बंद होता है। माता-पिता से अपेक्षा की जाती है कि मध्यकालीन अवकाश तथा अन्य परिस्थितियों में जब भी विद्यालय बंद किया जाये तो अपने बच्चे को स्वयं आकर अपने खर्च पर घर ले जायें तथा विद्यालय खुलने पर अपने खर्च पर ही वापस विद्यालय में लायें। इन अवकाशों की सूचना समय-समय पर पत्र द्वारा दी जाती है।

यात्रा छूट

नियमानुसार प्रत्येक दृष्टिबाधित बच्चा 1/4 किराये का भुगतान करके रेलगाड़ी से यात्रा कर सकता है। एक अन्य सहायक का किराया भी 1/4 लगता है। उपरोक्त छूट एक निर्धारित फार्म पर किसी भी रजिस्टर्ड चिकित्सक/नेत्र चिकित्सक अथवा किसी भी दृष्टिहीनों के संस्थान अथवा विद्यालय के मुख्य अधिकारी द्वारा प्राप्त प्रमाण पत्र के आधार पर प्राप्त कर सकता है।

प्रवेश प्रक्रिया

विद्यालय में प्रवेश के लिए निर्धारित फार्म संस्थान की वेबसाइट (www.nivh.gov.in)से प्राप्त किया जा सकता है। प्रवेश पत्र भरकर 16 अप्रैल 2018 तक विद्यालय के कार्यालय में पहुंच जाने चाहिए। इसके पश्चात प्राप्त प्रवेश पत्र पर विचार नहीं किया जायेगा। प्रवेश पत्र में सभी प्रविष्टियां साफ अंकित होनी चाहिए तथा साथ में मांगे गए सभी प्रमाण-पत्रों की स्व-सत्यापित प्रतियां संलग्न होनी चाहिए। अधूरे आवेदन पत्रों को स्वीकार नहीं किया जायेगा। प्रवेश प्रक्रिया के दौरान प्रत्येक बालक/बालिका का चिकित्सा परीक्षण किया जाता है जिसमें उपयुक्त पाये जाने पर ही विद्यालय में प्रवेश दिया जाता है। प्रधानाचार्य का निर्णय अन्तिम होगा।

आयु सीमा

छात्र तथा छात्रायें जिनकी आयु 4 से 5 वर्ष के मध्य हो तथा जो आयु तथा योग्यता के अनुसार विभिन्न कक्षाओं में भर्ती करने योग्य हों उन्हें प्रवेश परीक्षा एवं साक्षात्कार में सम्मिलित होना पड़ेगा। अपने बच्चे को साक्षात्कार के लिए तभी लेकर आयें जब बुलाया जाये। माता-पिता को बच्चे के लाने और ले जाने के खर्च का प्रबंध स्वयं करना होगा। प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात ही प्रवेश सम्भव हो सकेगा।

नोट:-कक्षा 11 के लिए शैक्षिक सत्र 2018-19 में स्थान उपलब्ध नहीं है। अतः कक्षा 10,11 व 12 के लिए कोई आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा।

अनुशासन

प्रत्येक विद्यार्थी को विद्यालय के अनुशासन सम्बन्धी नियमों का पालन करना होगा। अनुपालन न करने की स्थिति में कड़ी कार्यवाही की जाएगी। यहां तक कि विद्यालय से भी निकाला जा सकता है। इस दशा में प्रधानाचार्य का निर्णय ही अन्तिम होगा।

विद्यालय छोड़ने पर विद्यालय द्वारा दी गई सभी वस्तुओं को सम्बन्धित अधिकारी को लौटाना होगा। विद्यालय छोड़ने की अनुमति विद्यालय द्वारा प्रदान की गयी वस्तुएं लौटाने के पश्चात दी जायेगी।

परीक्षा तथा कक्षा उन्नति के नियम

यह नियम समय-समय पर केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के निर्देशानुसार बनाये जाते हैं। इनमें परिवर्तन भी होता रहता है जिससे कि आधुनिक तरीके अपनाये जा सकें। किसी भी बच्चे को एक ही कक्षा में दूसरी बार अनुत्तीर्ण होने पर विद्यालय से निष्कासित किया जाता है। इस विषय में प्रधानाचार्य का निर्णय अन्तिम होगा।

उपसंहार

यह विद्यालय दृष्टिबाधितों के लिए नवीन कार्यक्रमों तथा अपने कार्य क्षेत्र का निरन्तर विस्तार करने में लगा है, जिससे कि दृष्टिबाधितों के लिए अधिक से अधिक सेवायें उपलब्ध कराई जा सकें। यहां भावी शिक्षा अथवा प्रशिक्षण के लिए विद्यार्थियों को उचित परामर्श भी प्रदान किया जाता है। विद्यालयी शिक्षा के दौरान दृष्टिबाधित बच्चे को आवश्यक कौशलों जैसे ब्रेल, दैनिक गतिविधियों के कौशल, अनुस्थितिज्ञान एवं चलिष्णुता से अवगत कराया जाता है ताकि बच्चा अपने आप को समावेशी वातावरण में समायोजित कर सके और भविष्य के लिए तैयार हो सके।

PROSPECTUS

INTRODUCTION

Model Senior Secondary School for the Visually Handicapped is a unit of National Institute for the Visually Handicapped. The aims of the Institute are - to impart education to visually challenged; to train adult men & women; to conduct research and to provide services at national level to more and more visually challenged.

The school was established on 4th January 1959, 150th birth anniversary of Louis Braille with the aim of imparting education to the visually challenged children. Louis Braille, who discovered the method of embossed dots, made it possible for the visually challenged to read and write tactually. In 1970 another unit was established in the school to impart education to the partially sighted/low vision children. Now this school provides education to both type of children. In 1986 Pre Primary Class (Nursery) was started in the school and from the year 1993 provision was made to impart education to the children who were visually challenged with additional disabilities (**discontinued w.e.f. 2012**). Now the school provides education to the visually challenged children from Class Nursery to Class 12th. This is a residential school where students are provided with facilities such as education, balanced diet, accommodation, clothes etc.

School is dedicated towards achieving the following aims:-

1. To eliminate the obstacles and hurdles caused due to blindness in children.
2. To promote social adjustment and integration.
3. To provide ample opportunities to the visually challenged for their personality development.
4. To discover the child's strengths and abilities and to develop them.
5. To develop the model programme of teaching.

CURRICULUM

The school is affiliated to the Central Board of Secondary Education and follows the curriculum framed by National Council of Educational Research and Training. Amendments are made in accordance with the requirements. The following subjects are taught in the school- Hindi, English, Sanskrit, Social Science, General Science, General Knowledge, Mathematics, Sensory Training, Political Science, Sociology, History and Music. Computer Education has also been initiated in the school since 2001.

In addition to these subjects students are trained in Orientation & Mobility, Sports and Physical Education etc. This training is necessary for the children to learn appropriate techniques of Mobility, Advanced daily living skills and consequently improves manneristic behaviour caused due to visual impairment. Excursions and educational trips etc. are also organized from time to time so that students can acquire ample knowledge of the surrounding environment. Various activities such as Music, Yoga, Martial Arts, Spoken English, and Dramatics are organised after regular school hours, which are helpful in all- round development of the children.

CO-CURRICULAR ACTIVITIES

Sports, Music, Debate and other Cultural Competitions are also organised in the school. Those who exhibit keen interest in Vocal and Instrumental Music, Essay writing, Declamation and Computer etc. are prepared to take part in Regional, National and even International level competitions.

PARENTS-TEACHERS CO-OPERATION

Parent teachers meetings are held from time to time. The purpose of these meetings is to develop a feeling of co-operation among the parents and the teachers so that they can discuss about academic and all-round development of the child. It is expected from all the parents/guardians that they must meet the Principal and the teachers of the school.

HOSTEL

Provision for accommodation in the school hostel is only for the visually challenged students. Girls and boys are accommodated in separate hostels. Hostel superintendents & wardens for boys and girls hostel are appointed for the management of the Hostel. The school endeavours entirely to provide complete and balanced diet to the students. There is a provision for giving clothes to the children. It is expected from parents and guardians to give some other clothes to their children such as - two pairs of clothes to wear during day time, one pair to wear as night dress, a pair of slippers, handkerchiefs and undergarments etc. Pocket money is given every month to the students from class 6th to 12th so that they can buy personal and hygiene related belongings such as - soap, oil, toothpaste and toothbrush etc. Above mentioned articles are provided free of cost to the students upto class 5th. The students are expected to take care of their personal belongings on their own. School will not be held responsible for any loss or breakage. Parents and guardians are advised not to give expensive gadgets to their ward such as Mobile, IPod, Computer, Laptop etc. for which school cannot be held responsible for any kind of loss.

LIBRARY

The school library is well equipped with books in Braille as well as in print. In addition to books, magazines, pamphlets, brochures etc. are subscribed for. Number of books are increased from time to time according to the requirements so that sufficient number of books can be provided to the students and the teachers in the school library.

HEALTH

The dispensary of the Institute treats all type of ailments. Besides, if a student falls seriously ill he/she is admitted in Hospital and the parents are informed immediately. In case of prolonged illness the student is sent home with his/her parents till he/she recovers. Services of an ophthalmologist are provided from time to time in the Institute for diagnosing eye diseases and for other check-ups.

ATTENDANCE

In the beginning of each session if a student remains absent continuously for one week without prior information, then his/her name will be struck off the school register. If a student remains absent for ten days continuously during the session without any prior permission, he/she will be suspended from the school. Attendance of the students should not be less than 75% in a session. A student will not be permitted to sit in the exams if his/her attendance is found below 75%.

LEAVE

In case of illness, leave will be granted only if a medical certificate is given by an authorized/registered doctor. Leave will be granted only on the basis of the application submitted by the parents. Application for leave must reach before time.

SCHOOL VACATION

The school remains closed for mid-term break in October-November for nearly 20 days inclusive of Deepawali and Vijayadashmi. For summer vacation the school remains closed generally from mid of May for nearly 50 days. Parents/Guardians are expected to take their ward home and bring him/her back to school on their own expenses, whenever there is a mid-term break or any other situation in which the school is closed. The information about vacation is given from time to time through letters.

TRAVELLING CONCESSION

As per the rules every visually challenged can travel by train by giving $\frac{1}{4}$ of the fare. The fare of an escort is also $\frac{1}{4}$ of the fare. Above mentioned concession can be availed on the basis of a certificate given by a Registered Medical Practitioner/Ophthalmologist or by an officer of any Institute or school for the visually challenged.

ADMISSION PROCEDURE

Admission form can be obtained from the website (www.nivh.gov.in) of the Institute. Admission form duly filled in must reach the school office by **16th April 2018**. Admission form received after 16 April will not be entertained. Details should be marked neatly in the admission form and all the self-attested copies of required certificates should be enclosed. Incomplete admission form will not be accepted. At the time of admission each boy/girl will be medically examined and admission will be given only if he/she is found medically fit. **The decision of the Principal will be final.**

AGE LIMIT

Boys and girls whose age is in between 4-5 years and those who are eligible to get admission in various classes according to the age and capability, have to give the entrance test and interview. Parents/Guardians are expected to bring their child for interview only when they are called. Expenses of arrangements for bringing and taking the child will be borne by the parents/guardians. Only on qualifying entrance test and interview, admission will be possible.

NOTE - Seats are not vacant for class 11th in the Session 2018-2019. Thus, no application form will be accepted for admission in Class 10th, 11th and 12th.

DISCIPLINE

Students have to abide by the rules regarding discipline of the school. Strict action will be taken in case of non-compliance which may even lead to expulsion. **In this condition the Principal's decision will be final.**

On leaving the school, all the articles/objects provided by the school should be returned to the concerned officer. Leave will be granted only when the articles/items issued by the school are returned.

RULES OF EXAMINATION AND PROMOTION

Rules regarding examination and promotion are framed from time to time in accordance with the CBSE guidelines. Changes are often made so that modern techniques/methodology may be adopted. Name of a student, failing in a class twice, is invariably struck-off. **The decision of the Principal is final.**

CONCLUSION

This school is working for the development of latest programmes for the visually challenged and constantly expanding its domain with a purpose of making more and more services available to them. Appropriate consultation is also provided to the students for prospective education or training. During school education the visually challenged students are given awareness regarding necessary skills such as Braille, Daily Living Skills, Orientation and Mobility so that they can adjust themselves in inclusive set-up and be prepared for the future.